

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 37/2016

दायर तारीख : 23-12-2016




1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

— प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 28-01-2021

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम बडहौदा में स्थित खसरा नंबर 376/0.1129, 433/0.25 हैक्टेयर भूमि राजकीय सिवायचक खाता दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतनाजा 376/0.1129 में से 0.1129, 433/0.25 में से 0.25 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/गुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार एन.एच. 8 से मुख्य ग्राम बहडौदा तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है तथा रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व गुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द, नकल जमाबन्दी ग्राम बहडौदा संवत् 2071-2074, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम बहडौदा संवत् 2073, दैनिक डायरी आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंबर 376/0.1129 में से 0.1129, 433/0.25 में से 0.25 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय द्वारा भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)


राजकीय/निजी भूमियों में से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ग्राम बहडौदा के खसरा नंबर 376/0.1129 में से 0.1129, 433/0.25 में से 0.25 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बहडौदा में स्थित खसरा नंबर 376/0.1129 में से 0.1129, 433/0.25 में से 0.25 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।




 (राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर, जयपुर